अंत्योदय चिंतन से मिलती है सेवा की प्रेरणा

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर शाह और नड्डा ने पुष्पांजलि अर्पित की

नई दिल्ली, 25 सितंबर. भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माला एवं पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा अंत्योदय का उनका चिंतन हमें समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा करने की सदैव प्रेरणा देता रहेगा. इस अवसर पर दोनों नेताओं ने पौधरोपण भी किया. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में गुरुवार को अंत्योदय के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लिया. उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल का संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा, संगठन और भारतीय संस्कृति के उत्थान हेतु समर्पित रहा.

मैक्सिको ने आव्रजन छापों के लिए अमेरिका की आलोचना की

मैक्सिको सिटी, 25 सितंबर. मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने बुधवार को संयुक्त राज्य अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) द्वारा की गई आव्रजन छापेमारी की निंदा करते कहा कि वाशिंगटन को एक राजनयिक नोट भेजा गया है जिसमें हाल ही में दो मैक्सिकन नागरिकों की मौत की जांच की मांग की गई है. राष्ट्रपति ने अपनी दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कल इस मामले पर एक राजनयिक नोट भेजा गया था, जिसमें सभी जांच करने का अनुरोध किया गया है, और यदि कोई मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है, तो उसे दंडित किया जाए. आईसीई छापेमारी और हिरासत के बाद मैक्सिकन प्रवासियों इस्माइल अयाला-उरिबे और सिल्वेरियो विल्लेगास गोंजालेज की मृत्यु हो गई.

आज का इतिहास

1087 - विलियम द्वितीय इंग्लैड के सम्राट बने।

1777 - अमेरिकी क्रांति- ब्रिटिश सैनिकों का फिलाडेल्फिया पर कब्जा।

1820 - ईश्वर चन्द्र विद्यासागर का जन्म। वह प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षाशास्त्री और स्वाधीनता सेनानी थे।

1872 - न्यूयॉर्क सिटी में पहला मंदिर बना।

1950 - संयुक्त राष्ट्र सैनिकों ने उत्तर कोरिया के सैनिकों से सोल को अपने कब्जे में लिया।

1950 - इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की।

इचलकरंजी महानगरपालिका, इचलकरंजी

ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर

जाहिर फेर ई-निविदा सूचना क्र. १४/२०२५-२०२६

पाणी पुरवठा विभागाकडील महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत जाहिर फेर ई-निविदा क्रं. १४/२०२५-२६ www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर दि. २५/०९/२०२५ रोजी स. ११.०० वाजले पासून प्रसिध्द करणेत येत आहे. सविस्तर जाहिरात www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सही/-
अति. आयुक्त
इचलकरंजी महानगरपालिका

कैपरी ग्लोबल कैपीटल लिमिटेड

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (CGCL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") को उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे उल्लिखित राशियाँ, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय, सीजीसीएल को अदा करें। ऋण की उचित अदायगी हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियाँ क्रमशः सीजीसीएल के पास गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(ऋण खाता संख्या) LNMEDHA000026775 (पुराना) 80300005604073 (नया) (धार शाखा) श्रीमती रेखा पाटीदार उपनाम रेखाबाई कुलुम्बी (उधारकर्ता), श्री अशोक कुमार पाटीदार, श्री भेरूलाल पाटीदार (सह-उधारकर्ता)	12.09.2025 रु. 54,18,977/- (02-सितम्बर-25 तक)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें भूमि और भवन, 0.060 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र, व्यपवर्तित भूमि, पटवारी हल्का नंबर 27/67, खसरा/सर्वे नंबर 1062/2/3, व्यपवर्तित भूमि राजस्व 2907, आर.एन.एम. 2, कानवन, गांव - कोड, तहसील - बदनावर, जिला - धार, मध्य प्रदेश - 454665 पर स्थित है। सीमाः पूर्वः ईश्वर कटारा की भूमि, पश्चिमः सालगराम वालीवाला की भूमि, उत्तरः सार्वजनिक सड़क, दक्षिणः ईश्वर वगेरा की भूमि
2.	(ऋण खाता क्रमांक LNMEIN3000116929 (पुराना) 80300005749787 (नया) (इंदौर शाखा) श्री संतोष गुणावद (उधारकर्ता) श्रीमती मालती बाई (सह-उधारकर्ता)	12.09.2025 रु. 27,32,876/- (02-सितंबर-25 तक)	भूमि और भवन का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, मकान संख्या 31, भूमि क्षेत्र 5760 वर्ग फीट, वार्ड संख्या 03, पीएच संख्या 24, महाजन मोहल्ला, ग्राम पंचायत बेदागांव, तहसील सतवास, जिला देवास, मध्य प्रदेश 455332, निम्नानुसार घिरा हुआ हैः उत्तरः स्वयं की भूमि, दक्षिणः पिंकेश और विजय सोमानी की संपत्ति, पूर्वः संतोष सोमानी की संपत्ति, पश्चिमः निजी सड़क
3.	(ऋण खाता संख्या) LNMENCH000090459 (पुराना) 80400005699873 (नया) (नीमच शाखा) श्री शैलेन्द्र (उधारकर्ता) श्री अंबाराम पाटीदार, श्रीमती मंजू पाटीदार, श्री सुरेश गायरी (सह-उधारकर्ता)	12.09.2025 रु. 20,96,779/- (21.08.2025 तक)	भूमि और भवन का वह पूरा टुकड़ा, जो सर्वे क्रमांक 355/2, पुलिस चौकी क्रमांक -21, क्षेत्रफल 3767.50 वर्ग फीट, ग्राम और ग्राम पंचायत गलीहारा, तहसील सीतामऊ, जिलाः मंदसौर, मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तर में मनोहर बापूलाल का मकान, दक्षिण में विक्रेता का शेष भाग, पूर्व में आम सड़क गड़ी गदर, पश्चिम में हंसराज की पद भूमि।

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीसीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं का होगा। अधिनियम के तहत, उक्त उधारकर्ताओं को सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए एक्टर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा।

स्थानः इंदौर
दिनांकः 26-09-2025

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी),
केप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह- उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निदेर्शों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	116767808	संपत्ति के बदले ऋण	08.08.2025	7,90,011.80/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. जगदीश वने 2. बनेसिंह शिवलाल 3. किरण यादव 4. अवंतीबाई वने

संपत्ति का पताः अचल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें निर्मित मकान संख्या 09, कुल क्षेत्रफल 2014 वर्ग फीट, वार्ड संख्या 08, (खसरा के अनुसार), ग्राम आबादी सर्वे संख्या 204, फोन संख्या 18, ग्राम देहरीदेव ग्राम पंचायत खेलगांव तहसील नलखेड़ा, जिला आगर मालवा, मध्य प्रदेश, और उक्त संपत्ति इस प्रकार से घिरी हैः पूर्वः सड़क, पश्चिमः नारायण सिंह का घर, उत्तरः अनोखीलाल का घर, दक्षिणः सड़क

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	49102163	संपत्ति के बदले ऋण	13.09.2025	1,84,416.94/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. सोबल सिंह 2. रामकुंवर बाई

संपत्ति का पताः कुल प्लॉट का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, क्षेत्रफल 1292 वर्ग फीट, सर्वे क्रमांक 95 पर स्थित, गांवः खरसी, फोन नंबर 65, तहसीलः सोनकच्छ, जिलाः देवास, मध्य प्रदेश-455118, और इसकी सीमा इस प्रकार हैः- पूर्वः सुरेंद्र सिंह का घर, पश्चिमः रूप सिंह का घर, उत्तरः कृषि भूमि, दक्षिणः स्थानीय सड़क

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध SARFAESI Act, अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड,** आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांकः 26.09.2025
स्थानः मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

JALGAON CITY MUNICIPAL CORPORATION

e-Tender Notice No. for 2025-26

Jalgaon City Municipal Corporation, Jalgaon invites e-Tender for the work of Jalgaon City Water Supply Project Under Amrut 2.0. The cost of tender is Rs. 150,73,45,496/- The detailed tender document is available at www.mahatenders.gov.in from 26.09.2025 The right to accept and cancel the tender has been reserved by the Commissioner Jalgaon City Municipal Corporation.

Date: 26.09.2025

Sd/-
Commissioner
Jalgaon City Municipal Corporation

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)]
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28.12.2024 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता, सह-उधारकताओं और गारंटरों 1. अजय पडियाल, 2. निकिता पडियार, 3. रेशमा बाई पडियाल को नोटिस में उल्लिखित राशि INR 4,11,254.32/- (रुपये चार लाख ग्यारह हजार दो सौ चौवन और बत्तीस पैसे मात्र) को दिनांक 27.12.2024 तक दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा। उक्त मांग नोटिस की प्राप्ति की तिथि से।

उधारकताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज 23 सितंबर 2025 को नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकताओं और आम जनता को एतद्वारा संपत्ति से लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से किया गया कोई भी लेन-देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के 76,05,870.25/- रुपये (छहत्तर लाख पांच हजार आठ सौ सत्तर पच्चीस पैसे मात्र) और उस पर ब्याज के भार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

बंधक संपत्ति का विवरण

संपत्ति/घर का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका कुल क्षेत्रफल 867 वर्ग फुट या 80.54 वर्ग फुट है (पूर्व-पश्चिम दोनों तरफ 51 फुट और उत्तर-दक्षिण दोनों तरफ 17 फुट) पी.एच. क्रमांक 15/284, ग्रामः सुनारखेड़ी, ग्राम पंचायतः सुनारखेड़ी, तहसील और जिलाः धार, मध्य प्रदेश-454001 पर स्थित है, और इसकी सीमा इस प्रकार हैः- पूर्वः सी.सी. खरंजा, पश्चिमः रामचंद्र पटेल का खेत, उत्तरः कालूसिंह का घर दक्षिणः गेंदालाल का घर।

दिनांकः 23-09-2025
स्थानः मध्यप्रदेश
ऋण खाता संख्याः 72079015

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति देवास जिला-देवास (म.प्र.)

Telephone No.- 7272-255301 Fax No.- ....
E mail add.- dewasmandi@gmail.com

क्रमांक/मंडी/निर्माण/25-26/1572 देवास दिनांक-20/09/2025

अनाज मंडी प्रांगण क्रमांक- 01 एवं क्रमांक-2 एवं सब्जी मंडी प्रांगण की साफ सफाई हेतु
ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सर्वसम्बधितों को सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति देवास जिला देवास के अन्तर्गत अनाज मंडी प्रांगण क्रमांक 01, प्रांगण क्रमांक -02 एवं सब्जी मंडी प्रांगण में स्थित आक्शन प्लेटफार्म खुला एरिया, केन्टीन, शौचालय, सड़कें, नालियां आदि की साफसफाई एवं कूड़ा करकट उठाने एवं प्रांगण से बाहर नगर निगम देवास द्वारा नियत स्थान पर फेंकने हेतु निर्धारित शर्तो के तहत ठेका दिया जाना है। इस हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल http://mptendrs.gov.in/nicgep/app पर प्राप्त होगी जिसका सिस्टम निविदा क्रमांक 2025_MPSAM_453877_1 है। उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल www.mpmandiboard.gov.in पर भी अवलोकनीय होगी।

इस हेतु इच्छुक संस्था अपनी दरें निर्धारित प्रपत्र में अनाज मंडी प्रांगण एवं सब्जी मंडी प्रांगण हेतु पृथक-पृथक, उपरोक्त मंडी बोर्ड के पोर्टल पर दिनांक 26.09.2025 अपलोड करते हुऐ 03 लिफाफा पद्धति अनुसार कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति देवास में दिनांक 15.10.2025 को कार्यालयीन समय में 5. 30 बजे तक पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। प्राप्त निविदा दिनांक 17.10.2025 को अपरान्ह में खोली जावेगी।

साफ सफाई कार्य हेतु धरोहर राशि रु 50000/- रुपये रहेगी जो एफ.डी.आर. के रूप में रेवेन्यू टिकट पर हस्ताक्षरयुक्त सचिव कृषि उपज मंडी समिति देवास के नाम देय होगी। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। धरोहर राशि की एफडीआर एवं योग्य पात्रता होने पर ही ऑनलाईन निविदा खोली जावेगी। आवेदन पत्र एवं समस्त शर्तें कार्यालय उपज कृषि उपज मंडी समिति देवास में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।

नोटः- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी उपरोक्तानुसार पोर्टल पर ही प्रदर्शित की जावेगी ।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
देवास, जिला- देवास (म.प्र.)

भार साधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति
देवास, जिला- देवास (म.प्र.)

Form No. IV
(See Sub rule 2(a) of Rule 5)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

2nd & 3rd Floor, Sachar Vikas Bhawan, BSNL Building,
Near Head Post Office, Jabalpur (M.P.)
(Area for Jurisdiction - Madhya Pradesh)
(Summon under Sub-Section (4) Section 19 of the Act, read with Sub-Rules 2A) of rule 5 of Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

Original Application No. 1250/2024

Applicant : Central Bank of India,
VERSUS
Defendants : M/s Hitesh Creations and Another

1. **M/s Hitesh Creation**
   Through its Proprietor: Mr. Hitesh Thakur
   216, Readymade Complex, Pardesipura, Indore (M.P.) 452011
   Also at: House No. 08, Sector-D, Diamond Kalindi Gold City, Ujjain Road, Indore (M.P.) 453555

Wheareas, OA No. 1250/2024 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 26.11.2024.

Whereas the Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act (OA) filed against you recovery of debts of **Rs. 22,31,436.59/-**. (Application along with copies of documents etc. annexed)

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under :-

1. To show case within thirty days of the service of the summons as to why relief prayed for should not be granted.
2. To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under Serial No.3A of the original application.
3. You are restrained from dealing without disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under Serial No. 3A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
4. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise. except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest created and /or other assets and properties specified or disclosed under Serial No. 3A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.
5. You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank of financial institutions holding security interest over such assets.
6. You are also directed to file the Written Statement with a copy there of furnished to the applicant and to appear **01.10.2025** at **10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this **24th September, 2025.**

SEAL

Authorised Officer
Debts Recovery Tribunal, Jabalpur

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED

SMFG IndiaCredit Pragati Ki Nayi Pehchaan

कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051।

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के अंतर्गत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया है। अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना है कि उधारकर्ता(ओं) मांग सूचना(ओं) की तामील से बच रहा है/रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की तामील चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग सूचना(ओं) की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत हैः

उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि
1. राजलक्ष्मी नोटबुक मेन्यूफेक्चरिंग 2. नेहा सोनी 3. अमित सोनी LAN-213120911277904	18 सितंबर, 2025, रू. 26,79,683/- (छब्बीस लाख उन्यासी हजार छह सौ तिरासी रुपये) 12 सितंबर, 2025 तक

अचल संपत्ति का विवरण : बंधक संपत्ति की मालिक - नेहा सोनी। संपत्ति विवरण - फ्लैट नंबर 201, द्वितीय तल केशरदीप एवेन्यू एक्सटेंशन प्लॉट नंबर 73, नारायण बाग इंदौर क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट यानी 92.93 वर्ग मीटर (फ्लैट की सुपर बिल्ट अप पार्टीशन वॉल का उपयोग उपभोग के लिए किया जाएगा और छत का दाहिना हिस्सा शामिल नहीं है) सीमाएं इस प्रकार हैः- पूर्व की ओरः- रोड; पश्चिम की ओरः- फ्लैट नंबर 204; उत्तर की ओरः- फ्लैट नंबर 202; दक्षिण की ओरः- केशरदीप एवेन्यू

उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि
1. संजना किराना भंडार 2. उदल सिंह, 3. सुषमा LAN - 213120911375291	19 सितंबर, 2025 रू. 25,95,242 (पच्चीस लाख पिनच्यानवे हजार दो सौ बयालीस) 12 सितंबर, 2025 तक

अचल संपत्ति का विवरण बंधक संपत्ति के मालिक - उदल सिंह। संपत्ति विवरण- मकान नंबर 241/35 का पूरा शांति और पार्सल, रेडवाल कॉलोनी भागीरथपुरा इंदौर पर निर्माण सहित, कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट अर्थात 55.74 वर्ग मीटर (लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 15 फीट) और निर्माण 100 वर्ग फीट अर्थात 9.29 वर्ग मीटर आरसीसी का; सीमाएं निम्नानुसार हैं: पूर्व की ओरः - सड़क; पश्चिम की ओरः - गली; उत्तर की ओरः - खुला प्लॉट; दक्षिण की ओरः - खुला प्लॉट

उधारकर्ता(ओं) को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस(ओं) का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और खर्चों के साथ भुगतान की वसूली की तारीख तक करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ता(ओं) द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा निर्वहन करने में विफल रहता है, तो एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके हस्तांतरण करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं है। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्ति(ओं) की बिक्री के बाद, एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) और अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को सुरक्षित परिसंपत्ति(ओं) का निपटान करने या उनसे निपटने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति(ओं) को स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है, बिना एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट की पूर्व लिखित सहमति के और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है तथा उधारकर्ता, यदि चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानः मध्य प्रदेश
दिनांकः 26.09.2025

एसडी/-, प्राधिकृत अधिकारी,
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

शुभम्

कार्पोरेट कार्यालय - 425, उद्योग विहार फेस- IV, गुडगांव -122015 (हरियाणा)
फोन: 0124-4212530/31/32, ईमेलः customercare@shubham.co, बेवसाईटः www.shubham.co

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

जहां कहीं शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड (यहां आगे शुभम कहा जायेगा) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनेंसियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट, 2002 एवं के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंट्रस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित ऋणकर्ताओं को ऋण राशि को उपरोक्त सूचना की प्राप्ति के दिनांक से 60 दिवस के अंदर पुर्नभुगतान हेतु नोटिस जारी किया था। ऋणकर्ता राशि का पुर्नभुगतान करने में असफल रहे हैं ऋणकर्ताओं को एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप से इस एतद सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त कानून के नियम 8 के साथ उपरोक्त कानून की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वर्णित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार ना करें एवं इन संपत्तियों के साथ व्यवहार शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड के साथ नीचे दर्शाई राशि एवं उस पर ब्याज के विषयानुसार होगा।

ऋणकर्ता के ध्यानार्थ, धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध समयसीमा में सुरक्षित संपत्ति वापस प्राप्त करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। विवरण नीचे दिया गया हैः-

स. क्र.	ऋण खाता क्रं., ऋणकर्ता (ओं) का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	सुरक्षित संपत्ति	चस्पा की दिनांक
1	लोन नं. 0INA2409000005090883, धनजी ठाकुर, रिंकी कुमन	14-07-2025 एवं ₹ 12,52,182/-	प्लॉट नं. अ-18 का उत्तरी भाग, श्रीनाथ टाउन, ग्राम भाटखेड़ी तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश 453331, **क्षेत्रफलः** 350 वर्गफीट, **चर्तुःसीमाः** पूर्व- कॉलोनी रोड, पश्चिम - मकान नं. बी-2 एवं बी-3, उत्तर - मकान नं. ए-17, दक्षिण - उसी प्लाट का शेष भाग	22-09-2025

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 25-09-2025

प्राधिकृत अधिकारी
शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

दूरभाष (कोड -07282) 231333, फैक्स-21333, Email-cmokhargone@gmail.com

निविदा सूचना क्र./1128/MCK/ई टेंडर/2025 खरगोन, दिनांकः 22.09.2025

द्वितीय निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद्, खरगोन के द्वारा निर्मित सार्वजनिक/सामुदायिक 10 शौचालय के संचालन, संधारण के कार्य सफाई कर्मचारियों के हित संरक्षणों को ध्यान में रखते हुए उनकी रजिस्टर्ड संघ/फर्म/संस्थाएं जो शौचालय/मूत्रालयों की साफ-सफाई के समान कार्य का अनुभव रखती हो उन अनुभव संस्थाओं से शौचालय रखरखाव के लिए ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

अ. क्र.	टेंडर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि व लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
	2025_UAD_453952_1 Date -24.09.2025	नगर में स्थित सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों कुल 10 की साफ सफाई एवं देखरेख हेतु अवधि 01 वर्ष	1. 12 माह 2. 15000/ प्रति शौचालय प्रतिमाह लगभग कुल वार्षिक राशि 18.00 लाख	1. 2000/- 2. 13,500/-	08.10.2025 5.30 PM

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही किया जाएगा। पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

(छाया जोशी)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्, खरगोन

(भोलु कर्मा)
उपाध्यक्ष
न.पा. परिषद, खरगोन

(श्रीमती कविता अरविंद पाटीदार)
सभापति
स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
न.पा. परिषद्, खरगोन

(सुश्री कमला कोल)
मुख्य नपा अधिकारी
नपा परिषद्, खरगोन

FORM NO.14
[See Regulation 33(2)]
By Regd A/D, Dasti failing which by Publication.

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER- I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR

2nd & 3rd Floor, Sanchar Vikas Bhavan (BSNL Building), Near Head Post Office Residency Road, Jablapur- 482001, MP

DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961

RC/162/2024 **02-09-2025**

UNION BANK OF INDIA
Versus
ANNAPURNA SEEDS

To,
(CD1) ANNAPURNA SEEDS
GIRDHAR PATEL
H N 43 GRAM-AURANGAPURA MANDIR TEH-DEPALPUR, INDORE (M.P.) 452001
(CD2) GIRDHAR PATEL
H N 43 GRAM-AURANGAPURA MANDIR TEH-DEPALPUR, INDORE (M.P.) Indore, MADHYA PRADESH-452001
(CD3) DURGA BAI
GRAM-AURANGAPURA MANDIR TEH-DEPALPUR, INDORE (M.P.) Indore, MADHYA PRADESH-452001

This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed by the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR in **OA/823/2021** an amount of **Rs 27005418.12 (Rupees Two Crore Seventy Lakhs Five Thousands Four Hundred Eighteen One And Paise Twelve Only)** along with pendentellite and future interest @ 9.80 % Simple Interest Yearly w.e.f. 07/09/2021 till realization and costs of **Rs. 150000 (Rupees One Lakh Fifty Thousands Only)** has become due against you (Jointly and severally/ Fully/Limited).

2. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules there under.

3. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of yours assets on or before the next date of hearing.

4. You are hereby ordered to appear before the undersigned on **14/11/2025 at 10:30 a.m.** for further proceedings.

5. In addition to the sum aforesaid you will also be liable to pay

(a) Such interests as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate/execution proceedings.

(b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: **02/09/2025**

SEAL

Priti Desai
Recovery Officer-II
Debts Recovery Tribunel
Govt. of India Ministry of Finance
Jabalpur (M.P. & C.G. States)
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR